# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

**शस्त्र वाद सं0– 70/2015**

**श्री राजीव कुमार, पिता–स्व0 रामनरेश राम, सा0+पो0–धनगड़हाँ, थाना–बनियापुर,जिला–सारण**

| आदेश का क्रम–संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 13.08.2015 | यह वाद पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 1843गो0/, दिनांक 18.04.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक श्री राजीव कुमार, पिता–स्व0 रामनरेश राम, सा0+पो0–धनगड़हाँ, थाना–बनियापुर, जिला–सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। इस न्यायालय के ज्ञापांक 516, दिनांक 04.08.2015 के द्वारा आवेदक को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है।<br>आवेदक से हाजरी एवं आवेदन प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उन्हें धनगड़हाँ इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिसका संचालन दिनांक 12.09.2014 से उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके प्रतिष्टान से चेतन छपरा पंजाब नेशनल बैक की दूरी लगभग 8 किलो मीटर है। इतनी दूरी में पैसा लेकर आने जाने से उनके जान माल पर खतरे की सदैव आशंका बनी रहती है। हाल ही में, इसी क्षेत्र में बैक के सवा करोड़ रूपये लूटे जाने की धटना धटित हुई है। वे महादलित श्रेणी के व्यक्ति है। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।<br>आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 1843 गो0/, दिनांक 18.04.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, बनियापुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को उनकी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।<br>थानाध्यक्ष,बनियापुर के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की धटना के धटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत | |

करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही हैं।

अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र,दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक श्री राजीव कुमार, पिता-स्व0 रामनरेश राम, सा0+पो0-धनगड़हाँ, थाना-बनियापुर, जिला-सारण के जान माल पर खतरे की कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2014 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

**लेखापित एवं संशोधित**

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1885 /न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

22/8/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।